न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :- राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 11 / 25 दायर दिनांक: 11.06.2025

जीसीएमएस नं. 2025 / 243

उनवान

1 घनश्याम 2 मोहनलाल 3 प्रेम देव 4 ओमप्रकाश पुत्रान रामलल्लू जातियान ब्राह्मण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर 2 मदनलाल 3 विशंभर 4 भगवानसिंह 5 रेवती 6 बिहारी 7 हीरालाल पिसरान कजौडी जाति माली निवासी रणधीरगढ रोड कस्बा भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी कराये जाने
अन्तर्गत धारा 111,128,131 एल.आर.ए. 1956

अधिवक्ता :-
1 श्री चन्द्रशेखर तिवारी —प्रार्थीगण
2 श्री सुरेन्द्र चौधरी —अप्रार्थी सं. 2 लगा. 7

निर्णय दिनांक 22/05/2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1459 रकवा 0.0700, 1460 रकवा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम भुसावर द्वितीय तहसील भुसावर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज आराजी हैं। प्रार्थीगण की आराजी से अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा नम्बर 1459 रकवा 0.0700, 1460 रकवा 0.1600 हैक्टेयर के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार भुसावर को प्रस्तुत किया था जिसकी अनुपालना में तथा अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार भुसावर द्वारा सीमाज्ञान हेतु गठित टीम द्वारा दिनांक 27.05.2025 को सीमाज्ञान करवा कर रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 को प्रस्तुत कर दी थी।

दिनांक 02.06.2025 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में जाकर उनसे सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण की मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की पत्थर गढी करवाने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण से पत्थर गढी करने से मना कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार भुसावर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 के प्रभाव में है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाकर प्रार्थीगण की आराजी पर अनाधिकृत कब्जा करना चाहते हैं क्यों कि प्रार्थीगण की आराजी की बगल में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 की अराजी है जो प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी पर पत्थर गढी नही करने दे रहे हैं।

प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नंबर 1459 रकबा 0.07, 1460 रकबा 0.16 हैक्टे. वाके ग्राम भुसावर द्वितीय की राजस्व टीम द्वारा कराये गये सीमाज्ञान दिनांक 28.05.2025 के आधार पर पत्थरगढी कराये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक कराई गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री सुरेन्द्र चौधरी एड. द्वारा पेश किये। तथा तहसीलदार, भुसावर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि वाके ग्राम भुसावर द्वितीय

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

के आराजी खसरा नंबर 1459 रकबा 0.07 हैक्टे. किस्म चाही तृतीय व खसरा नंबर 1460 रकबा 0.16 हैक्टे. किस्म चाही तृतीय ओमप्रकाश, धनश्याम, प्रेमदेव व मोहनलाल पिसरान रामलल्लू जाति ब्राह्मण सा. भुसावर खातेदार दर्ज है। उक्त खसरा नंबर का सीमाज्ञान दिनांक 27.05.2025 को गठित राजस्व टीम द्वारा पूर्ण किया गया।

हमने बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 27.05.2025 का भली भाति अध्ययन किया गया। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर खसरा नंबर 1462 गै.मु. ट्यूबवैल से जरीब चलाकर खसरा नंबर 1465 गै.मु. चाह को मुस्तकिल बिन्दु कायम किया। मुस्तकिल बिन्दु से जरीब चलाकर खसरा नंबर 1459 व 1460 के कोने कायम किये। कोनों को आपस में मिलाकर खसरा नंबर 1459 व 1460 की मैडें निर्धारित कर सीमाज्ञान कार्य पूर्ण किया। मौका पर्चा मौके पर तैयार कर पढकर सुनाया व उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 27.05.2025 व तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली भाति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नंबर 1459 रकबा 0.07, 1460 रकबा 0.16 हैक्टे. वाके ग्राम भुसावर द्वितीय तहसील भुसावर की भूमि के पूर्व दिनांक 27.05.2025 को निर्धारित सीमा चिन्ह के अनुसार पत्थरगढी कर मुकाम कायम किये जावे। साथ ही आप वक्त पत्थरगढी स्वयं मौके पर उपस्थित रहें। यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो, तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पुलिस इमदाद अपने स्तर से प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)